HARYANA GOVT GAZ (EXTRA), JAN 28, 1991 (MAGHA. 8, 1912 SAKA)

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे0 डी0—91/749.— अद्यतन यथासंशोधित पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा—4 की उप धारा (1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शें में दर्शायी गई अनुसूचीं में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव बेरामपुर में प्राथमिक विद्यालय, जिला गुड़गांव के आस—पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं।

अनबन्ध

जिला गुड़गांव के गांव बेरामपुर में प्राथमिक विद्यालय के आस—पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा—अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 159 / 90, दिनांक 5 मई, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

अनुसूची

उत्तर: बिन्दु ''ए'' से लेकर, जो गांव बेरामपुर की आयत संख्या 12 का उत्तर—पश्चिमी कोना है, उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या 10 डी०पी0–81 / 8039, दिनांक 21 मई, 1981 द्वारा पहले से ही घोषित अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र IV गुड़गांव की सीमा के साथ—साथ बिन्दु ''बी'' तक, जो कि गांव बलोला की आयत संख्या 17 का उत्तर पूर्वी कोना है।

पूर्वः उसके बाद दक्षिण की ओर हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या 5262—10 डी०पी०—81 / 13262, दिनांक 19 अगस्त, 1981 द्वारा गांव बलोला और हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या 15260—10 डी०पी०—81 / 13256, दिनांक 19 अगस्त, 1981 द्वारा गांव बन्धवाड़ी के घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु "सी" तक।

दक्षिणः उसके बाद पश्चिम की ओर गांव बंधवाड़ी और बेरामपुर के पहाड़ की तराई के साथ—साथ बिन्दु ''डी'' तक, जो कि गांव बेरामपुर की आयत संख्या 44 का दक्षिण—पश्चिमी कोना हैं।

पश्चिमः उसके बाद गांव बेरामपुर की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु "ए" तक अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक।

तरसेम लाल,

सचिव एवं आयुक्त, हरियाणां सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

316

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JAN 28, 1991 (MAGHA 8, 1912 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22nd January, 1991

No. JD-91/749. -- In exercise of the powers conferred by sub-section(i)(b) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 as amended upto date and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Primary School at Village Berampur, District Gurgaon as specified in the schedule given below and shown on the plan appended hereto, to be a controlled area, for the purposes of the said Act, namely:-

ANNEXURE

Schedule of boundaries of controlled area around Primary School at village Berampur, District Gurgaon to be read with Drg. No.DTP(G)159/90, dated 5th May, 1990.

SCHEDULE

North: Starting from point 'A' which is the north western concern of rect. No.12 of village Berampur, thence towards north east along the boundary of additional controlled area IV Gurgaon declared, - *vide* Haryana Government Gazette notification No.10 DP-81/8039, dated 21st May, 1981 upto point 'B' which is north eastern corner of rect. No.17 of village Balola.

East : Thence towards south along the controlled area boundaries of village Balola declared, - vide Haryana Government Gazette notification No.5262-10DP-81/13262, dated 19th August, 1981 and village Bandhwari declared, - vide Haryana Government Gazette notification No.5260-10DP-81/13256, dated 19th August, 1981 upto point 'C'.

South: Thence towards west along the foot hills of village Bandhwari and Berampur which is the south western corner of rect. No.44 of village Berampur.

West: Thence towards north along the western revenue boundary of village Berampur i.e. the point of start.

TARSEM LAL.

Commissioner & Secretary to Government, Haryana. Town & Country Planning Department